(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 576–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–01–2016 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील टप्पा जिला ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 10/अ–68/2015–16

.....

1–नाथूसिंह पुत्र मुली सिंह
2–मीनू सिंह पुत्र मुली सिंह
3–पप्पूसिंह पुत्र जगजीतसिंह
4–रामस्वरूप सिंह पुत्र जगजीत सिंह
5–रशालसिंह पुत्र करन सिंह
निवासी गण ग्राम पारसेन
तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन जर्ये जिला कलेक्टर जिला ग्वालियर
2–नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली टप्पा तहसील मुरार जिला ग्वालियर
3–गनेश गिरी पुत्र श्री सरमन गिरि
निवासी ग्राम पारसेन जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक–अनावेदक क्रमांक 1 व 2
श्री रणवीरसिंह, अभिभाषक– अनावेदक क्रमांक 3

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील टप्पा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पारसेन स्थित मंदिर श्री बनवारीजी की भूमि पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किये जाने संबंधी शिकायत जन सुनवाई में कलेक्टर को प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा उक्त शिकायती आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/15–16/अ–68 दर्ज कर दिनांक 15–1–16 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण द्वारा कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1966 से आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के आधिपति कृषक चले आ रहे हैं। यह भी कहा गया कि शासन द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की है और मंदिर शासकीय कब हुई है, जबकि वास्तव में मंदिर आवेदकगण के स्वामित्व का है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन मंदिर के स्वामी सालेग्राम गिरी थे । गणेशराम का मंदिर में कोई हित नहीं है और न ही स्वामी की उन्हें पात्रता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि गणेश गिरी केवल मंदिर के पुजारी है और उन्हें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का लगान आवेदकगण द्वारा भरा गया है और उन्हें उक्त भूमि का पटटा भी प्राप्त हो गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मंदिर श्री बनवारीजी के प्रबंधक कलेक्टर है और अनावेदक कमांक 3 उसके पुजारी है, इसलिये उसे कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का

पर्याप्त अवसर देते हुये अंतिम आदेश पारित किया गया है, जो कि अपील योग्य आदेश है, उसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है उन्हें प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करना है, जहॉ आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील टप्पा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर